न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 92/2023 (जीसीएमएस नम्बर – 2023/506)

1. कयामुद्दीन पुत्र अलाउदीन जाति मुसलमान निवासी बस स्टेण्ड के पास, खेडली गंज अटरू तहसील अटरू जिला बांरा।
2. रईसुदीन पुत्र अलाउदीन जाति मुसलमान निवासी मकान नम्बर 1–फ–40, अयप्पा मन्दिर के पास, छतरपुरा तालाब, विज्ञान नगर कोटा।
3. शमशुदीन पुत्र कल्लू खाँ जाति मुसलमान निवासी मुसलमानों का मौहल्ला वार्ड नम्बर 2, खेडलीगंज तहसील अटरू जिला बांरा।
4. सदरूदीन पुत्र कल्लू खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम काचरी तहसील अटरू, जिला बांरा।
5. सलामुदीन पुत्र महमूद अली जाति मुसलमान निवासी खेडली गंज अटरू, तहसील अटरू जिला बांरा।
6. इस्लामुदीन पुत्र महमूद अली जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 4 मोरक रेलवे फाटक मस्जिद रोड उदयपुरा कमलपुरा कोटा।
7. इकरामुदीन पुत्र महमूद अली जाति मुसलमान निवासी खेडली गंज अटरू, तहसील अटरू जिला बांरा।
8. अब्दुल रज्जाक पुत्र महमूद अली जाति मुसलमान निवासी खेडली गंज अटरू, तहसील अटरू जिला बांरा।
9. जाकिर हुसैन पुत्र महमूद अली जाति मुसलमान निवासी खेडली गंज अटरू, तहसील अटरू जिला बांरा।
10. इस्लामुदीन पुत्र शर्फूदीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 3 काजिया टोडी मांगरोल बांरा।
11. सिराजुदीन पुत्र सर्फूदीन जाति मुसलमान निवासी खेडली गंज अटरू, तहसील अटरू जिला बांरा।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. अब्दुल रज्जाक पुत्र गफ्फूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मस्जिद के पास, कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा।
3. उप पंजीयक लालसोट तहसील लालसोट ज़िला दौसा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा निर्णय दिनांक 06.06.2012 जिसके द्वारा अपील संख्या 07/2010 बाबत् इन्तकाल संख्या 1473 ग्राम लालसोट तस्दीक दिनांक 02.01.1992 के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को धारा 5 पर खारिज किये जाने का आदेश पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री राजाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।
2. श्री रामस्वरूप बैरवा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अनुपस्थित।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेंस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–17.07.2025

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 06.06.2012 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 20.09.2023 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा द्वारा कस्बा लालसोट के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1473 दिनांक 02.01.1992 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के समक्ष अपील

प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा ने निर्णय दिनांक 06.06.2012 द्वारा अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद खारिज किया जाकर प्रार्थी (रेस्पो0) का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किया गया व अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये।

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 06.06.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट कयामुद्दीन पुत्र अलाउदीन द्वारा यह अपील स्वीकार करने एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.06.2012 को निरस्त किये जाने व इन्तकाल संख्या 1473 तस्दीक दिनांक 02.01.1992 को निरस्त फरमाये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा दिनांक 06.06.2012 तथ्यों एवं कानून के विपरीत होने की वजह से निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना कतई परवर्स आदेश पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि अपीलाधीन नामान्तकरण अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में बिना साक्ष्य कायम तस्दीक किया गया था जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को नही थी, जानकारी होनें पर जानकारी के दिन से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत कर दी गई जिसका कोई जवाब रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। उसके पश्चात भी प्रकरण को गुणावगुण पर देखे बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्तियां बाबत् जवाब प्रस्तुत कर इकरारनामा कुटरचित होना एवं अपील संख्या 7/1996 केदार पुत्र काना मीणा द्वारा प्रस्तुत करना और उस अपील में अपीलार्थीगण पक्षकार नही होना अंकित किये जाने के पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन तथ्यों का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन नामान्तकरण अपीलार्थी के पिता मृतक असरफूदीन को नाऔलाद बताते हुये तस्दीक कराया गया था। जबकि रेस्पोडेन्ट स्वयं द्वारा यह स्वीकार किया गया कि मृतक के वारिसान द्वारा दिनांक 11.07.1994 को इकरारनामा निष्पादित किया गया। उपरोक्त दोनों कथनों से यह स्पष्ट हो गया कि अपीलाधीन नामान्तकरण (अवैधानिक) त्रुटि कारित था। ऐसे अवैध नामान्तकरण के विरूद्ध अपील करने की कोई समय सीमा निर्धारित नही होने के पश्चात भी उपरोक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पिता गफूर मोहम्मद के नाम मृतक की वसीयत होना अंकित किया जबकि नामान्तकरण वसीयत के आधार पर नही भरा जाकर विरासत के आधार पर भरा गया होने के पश्चात भी उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.1994 के तथाकथित इकरारनामें का आधार बनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जबकि ऐसे अन रजिस्टर्ड इकरारनामें के आधार पर कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नही होते इसके पश्चात भी अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के लिये प्रत्येक अवस्था में यह आवश्यक था कि प्रकरण को टेक्निकल आधार पर निर्णय करने के बजाय गुणावगुण में निर्णित किया जाना चाहिए था ताकि पक्षकारों को प्रभावी न्यायिक निर्णय प्राप्त हो सकें। इसलिये भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि किसी भी अपील को मियाद बिन्दु पर निरस्त करने से पूर्व उसके गुणावगुण पर दृष्टि डालना आवश्यक होता है परन्तु विद्वान' अधिनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण पर दृष्टि डालने की कोई कौशिश किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। मार्च 2023 में अभिभाषक' महोदय द्वारा बताया गंया कि आपके केस में जयपुर अपील हो गई है। जिस पर अभिभाषक महोदय आवश्यक मालूमात कर जयपुर आकर प्रकरण की तलाश कर जयपुर में अभिभाषक नियुक्त कर दिनांक 28.03.2023 को वकालतनामा प्रस्तुत कर अपील की नकल प्राप्त करने पर जयपुर वाले अभिभाषक महोदय द्वारा अपील को पढ़कर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

बताया कि आपकी एक अपील वर्ष 2012 में ही खारिज हो गई। उसकी अपील नही कर पुनः दूसरी अपील पेश कर दी जो कानूनन सही नही हैं। उसकी अपील करनी चाहिए थी, जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा काफी प्रयास करने के बाद अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2012 की नकल हेतु कई दफा दौसा में अलग–अलग व्यक्तियों से नकल हेतु सम्पर्क करने पर भी नकल नही मिल पाई अन्त में परेशान होकर दो तीन दिन दौसा में रूककर आवश्यक मालूमात करने पर पता चला कि उपरोक्त पत्रावली रिकार्ड में जमा हो गई जिस पर दिनांक 06.09.2023 को प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी दिनांक 08.09.2023 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हो सकी। जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः द्वितीय अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा दिनांक 06.06.2012 एवं नामान्तकरण संख्या 1473 दिनांक 02.01.1992 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश पारित किये जावें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2012 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होते ही दिनांक 06.09.2023 को नकल हेतु आवेदन पेश करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत् पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि मुख्य विवाद असरफुद्दीन पुत्र अजीजुद्दीन की विरासत का है। तहसीलदार लालसोट ने असरफुद्दीन की विरासत का नामान्तरकरण अब्दुल रजाक पुत्र गफूर मोहम्मद के नाम नामान्तरकरण संख्या संख्या 1473 दिनांक 02.01.1992 स्वीकृत किया गया था। जिसे हाल अपीलान्ट्स नं. 1, व 11 एवं 12 के पिता तथा अपीलान्ट संख्या 3 एवं रेस्पोडेन्ट नं. 5 लगायत 9 के पिता ने तहसीलदार लालसोट द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1473 दिनांक 02.01.1992 के विरूद्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा में एक अपील प्रकरण संख्या 07/2010 उनवानी महमूद व अन्य बनाम अब्दुल रजाक प्रस्तुत की गयी थी। अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने निर्णय दिनांक 06.06.2012 द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद पर अपील खारिज की गयी थी। इसके पश्चात हाल अपीलान्ट संख्या 5 लगायत 9 के पिता, अपीलान्ट संख्या 10 व 11 के पिता व अपीलान्ट संख्या 01, 2, 3 व 4 ने तहसीलदार लालसोट द्वारा असरफुद्दीन की विरासत का नामान्तरकरण अब्दुल रजाक पुत्र गफूर मोहम्मद के नाम नामान्तरकरण संख्या संख्या 1473 दिनांक 02.01.1992 स्वीकृत किया गया था जिसके विरूद्व दूसरी अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष अपील प्रकरण संख्या 52/2015 उनवानी महमूद अली व अन्य बनाम अब्दुल रजाक प्रस्तुत की गयी थी, जो अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने निर्णय दिनांक 05.02.2016 द्वारा अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर तहसीलदार लालसोट के आदेश दिनांक 02.01.1992 नामान्तरकरण संख्या 1473 कस्बा लालसोट खारिज कर तथा तहसीलदार लालसोट को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया है कि प्रकरण में वारिसान की जांच कर सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने का आदेश पारित किया गया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्टस द्वारा उक्त अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.06.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। हमारा विनम्र मत है कि अपीलान्ट्स ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा में दूसरी अपील प्रकरण संख्या 52/2015

उनवानी महमूद अली व अन्य बनाम अब्दुल रजाक प्रस्तुत की गयी थी, जो अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने निर्णय दिनांक 05.02.2016 द्वारा अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर तहसीलदार लालसोट के आदेश दिनांक 02.01.1992 नामान्तरकरण संख्या 1473 कस्बा लालसोट खारिज करते हुए तहसीलदार लालसोट को प्रतिप्रेषित किया गया है कि प्रकरण में वारिसान की जांच कर सुनवाई, सबूत का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये हैं। अपीलान्ट्स द्वारा चाहा गया अनुतोष अपीलान्ट्स को अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 05.02.2016 में दिया जा चुका है तो अपीलान्ट्स द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.06.2012 के विरूद्ध अपील किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अपीलान्ट्स तहसीलदार के समक्ष सुनवाई में अपने सबूत व साक्ष्य प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.06.2012 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.06.2012 यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 17.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर